

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/से.नि.जोन भरतपुर/एफ.00885/2024/130 दिनांक : 07-02-24

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख तिथियों से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र.स.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	से.नि. तिथि
1.	श्री भूपेन्द्र कुमार तिवारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर।	01.07.1964	30.06.2024
2.	श्री जगदीश चन्द माली, कनिष्ठ सहायक	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, करौली।	07.06.1964	30.06.2024

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/से.नि.जोन भरतपुर/एफ.00885/2024/130 दिनांक : 07-02-24
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर/करौली।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, करौली।
4. डीपीसी, अराजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
5. प्रभारी, सम्बंधित अनुभाग, मुख्यालय।
6. सम्बंधित कर्मचारी।
7. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश का विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
8. आदेश/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि आडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
5452126

Document certified by SURESH
NAWAL <add4ng@gmail.com>.
Digitally Signed by Suresh
Kumar Nawal
Designation: Director
Date :04-02-2024 07:34:17